न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/220/2021

वउनवान

1. नीतू पत्नी परसराम जाति जाट निवासी भजीट तहसील अलवर जिला अलवर

------ सायला

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र नन्नु जाति जाट निवासी रेटा तहसील कठूमर
2. तहसीलदार कम सव रजिस्ट्रार कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान का   तकारी अधिनियम

उपस्थित :—

श्री सतेन्द्रसिंह— अधिवक्ता सायला की ओर से

श्री महेन्द्रसिंह कपासिया— अधिवक्ता गैरसायल सं0 1 की ओर से

आदेश

दिनांक 13.05.2022

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 563 रकवा 0.68 हे0 ग्राम रेटा तहसील कठूमर में स्थित है उपरोक्त विवादित आराजी सायला के 2/3 हिस्सा व शेष हिस्सा गैरसायल की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। सायला एंव गैरसायलके आपस में सम्बन्ध खराब हो गये है, मनमुटाव हो गया है जिस कारण अब सायला एंव गैरसायला के मध्य विवदित आराजी पर शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। सायला ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:26:22 IST
Reason: SelfAttested

वावत कहा तो गैरसायल ने साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजी राजस्व रेंकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है गैरसायल ने सायला को धमकी दी है कि मैं विवादित आराजी का तकासमा नहीं कराउँगा और तुझे विवादित आराजी पर तेरे हिस्से पर शामलात में काश्त नही करने दूँगा तथा विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही दीगर व्यक्तियों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा दूँगाजवकि गैरसायल को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायल अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गया तो सायला तवाह एंव वर्वाद हो जावेगी दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायला को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलाने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 1ने हाजिर अदालत होकर अपनाजवाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में तमाम तथ्य गलत एंव मिथ्या दर्ज कराये है विवादित आराजी पर सायला एंव गैरसायल के मध्य बहामी बंटवारा हो रहा है। मुताविक वहामी वंटवारा विवादित आराजी की मौके पर डौल डालकर बंटवारा कर रखा है अपने अपने हक हिस्सा व घरू वंटवारा में आई आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। गैरसायल ने अपनी घरेलु आव यकता के लिये अपने हक वो कब्जे की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड वेयनामा दिनांक 10.09.2022 को श्री श्री रामधन पुत्र नारायण मीना निवासी [illegible] जरे लेकर मौके पर कब्जा देकर बेचान किया है मौके पर [illegible] का कब्जा काश्त है। मिन गैरसायल की मौके पर कोई काश्त नहीं है। [illegible] आराजी का घरेलु वंटवारा करीब 30 साल पूर्व हो गया था। गैरसायल ने अपने घरू वंटवारे में आई आराजी पर गैरसायल को वाद वेचान कब्जा संभला दिया है। सायला ने सही

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:26:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायला को विवादित आराजी का तकासमा कराने का अधिकार नहीं है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायला के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायल के पक्ष में सावित है। सायला को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायला का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायला ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2075से 2078 वाके ग्राम रेटाकी सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

सायला को अपने प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है –

1. प्रथम दृश्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायला ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायला एंव गैरसायलकी शामलात खातेदारी में दर्ज है। अवट आराजी है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है लेकिन अव गैरसायल विवादित आराजी पर सायला के शामलात काश्त करने में बाधा पैदा करता है तथा अवट आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करना चाहता है। यदि गैरसायल ने ऐसा कर दिया तो सायला को अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से गैरसायल को पाबन्द किया जाना जरूरी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:26:22 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी का अर्सा 30 साल पूर्व वहमी [illegible] पर वंटवारा हो गया था। सायला व गैरसायल अलग अलग अपने हक हिस्सा व घरू वंटवारे में आई

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। गैरसायल ने अपना हिस्सा रामधन पुत्र नारायण मीना निवासी रेटी को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 10.09.2022 को वेचान कर कब्जा संभला दिया है। अव गैरसायल का विवादित

आराजी पर कोई कब्जा नहीं है बल्कि केता रामधन का कब्जा है। सायला ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायला गैरसायल को पाबन्द कराने का अधिकार नहीं रखती है। सायला को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है इस वजह से प्रार्थना पत्र सायला खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायला द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गैरसायल द्वारा प्रस्तुतजवाव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायला ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सावित करने के लिए जमाबन्दी हाल पेश की हैं। जिसके अवलोकन से विवादित आराजी सायला एंव गैरसायल की शामलात खातेदारी में दर्ज है। गैरसायल ने विवादित आराजी को 30 साल से वंटी होना बताया है। लेकिन विवादित आराजी मौके पर वंटी हो इस तरह का गैरसायल ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। विवादित आराजी सायला एंव गैरसायल की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अतः विवादित आराजी का सायला एंव गेरसायल की शामलात खातेदारी की होने का अनुमान किया जाता है। सायला विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार है। हिस्सानुसार सायला का विवादित आराजी पर कब्जा प्रतीत होता है।यदि गैरसायल को पाबन्द नहीं किया गया तो गेरसायल विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही दीगर लोगों को रहन वय कर सकता है या सायला के शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर सकता हैं। गैरसायल को पाबन्द कि[illegible] से उसे किसी तरह का नुकशान होता हो इस तरह की स्थिति अदालत [illegible] समक्ष नहीं है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन करने पर सायला अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में सफल रही है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pinder
Date: 2024.06.05 17:26:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

विन्दु सायला के पक्ष में सावित हैं। अतः प्रार्थना पत्र सायला स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 563 रकवा 0.68 हे. वाके ग्राम रेटा तहसील कठूमर में मौका एंव रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 16.09.2021 कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.

आज दिनांक 13.05.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:26:22 IST
Reason: SelfAttested